न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 243/2024
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. बलवन्त पुत्र किडूराम जाति नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुन्शीराम पुत्र किडूराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र किडूराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़
5. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा रोही मौजा नहराना तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 111/108 के खसरा नं. 130, 197, 20, 87 कुल खसरे 4 की कुल तादादी 26.6930 है० भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 7/48 हिस्सा, सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 प्रत्येक का 1/112 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 3 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल के दादा कीडुराम पुत्र श्योनाथ का स्वर्गवास दिनांक 07.10.2020 को हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस एक पत्नी, 4 लडके व 3 लडकिया हुए जिसमें से एक लड़का ओम प्रकाश पुत्र कीडूराम भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 हुए तथा एक लड़की निराणी पुत्री कीडूराम भी फोत हो चुकी है। रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 111/108 की कुल 26.6930 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि कीडूराम पुत्र श्योनाथ के नाम दर्ज [illegible] की मृत्यु के बाद दिनांक 15.06.2024 को विरास्तन सभी वारिसान के नाम दर्ज [illegible] भूमि सायल की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। सायल की दादी रामप्यारी [illegible] कीडूराम व वादी की बुआ विमला, कृष्ण एवं सायल की बुआ मृतका निराणी पुत्री कीडूराम के वारिसान विद्या, पार्वती, रोहिताश व सोहन ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2024 को परित्याग कर चुके है जिसका इन्तकाल दिनांक 23.08.2024 को हो चुका है इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नहीं होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक (Tenancy Right Accure) हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबदार होने वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह खातेदार (Remaining all the coparcener cosherer tenants) य० हि० ब० के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2024 द्वारा रामप्यारी पत्नी कीडूराम व विमला, कृष्ण पुत्रिया कीडूराम एवं मृतका निराणी पुत्री कीडूराम के वारिसान विद्या, पार्वती, रोहिताश व सोहन का हक व हिस्सा समाप्त हो गया तथा अब वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2024 से गैरसायल नं. 1 ता 3 अकेलो को कोई हक हकूक हासिल नहीं हुआ है बल्कि वादग्रस्त भूमि में रामप्यारी पत्नी कीडूराम व विमला, कृष्ण पुत्रिया कीडूराम एवं मृतका निराणी पुत्री कीडूराम के वारिसान विद्या, पार्वती, रोहिताश व सोहन का हक व हिस्सा समाप्त हो गया है एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 के साथ सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण 6 ता 11 के पक्ष में उसका हिस्सा समायोजित हो गया है इसलिए सायल उक्त दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2024 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने रामप्यारी पत्नी कीडूराम व विमला, कृष्ण पुत्रिया कीडूराम एवं मृतका निराणी पुत्री कीडूराम के वारिसान विद्या, पार्वती, रोहिताश व सोहन से दिनांक 06.08.2024 को गलत तौर पर अपने पक्ष में दस्तबरदारी करवा ली तथा उक्त गलत दस्तबरदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा लिया जो सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 के हक व हकूको के मुकाबले शुन्य व प्रभाव हीन है। गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने हक से ज्यादा भूमि उक्त दस्बरदारी के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाकर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भूमि को बेचान करने की फिराक में है वादग्रस्त भूमि अब रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहते है यदि गैरसायल नं. 1 ता 3 उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से संभव नहीं है इसलिए सायल गैरसायल नं. 1 ता 3 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested

रामप्यारी पत्नी कीडूराम व विमला, कृष्ण पुत्रिया कीडूराम एवं मृतका निराणी पुत्री कीडूराम के वारिसान विद्या, पार्वती, रोहिताश व सोहन ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा उक्त खाता में त्याग कर दिया है जिसके पश्चात रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 111/108 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 26.6930 है० भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि में से सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 का ब० हि० ब० 1/8 हिस्सा, गैरसायल संख्या 1

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का 1/8 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 का 1/8 हिस्सा व गैरसायल संख्या 3 का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो चुके है। सायल जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है पैतृक कृषि भूमि में हक त्याग में किसी भी वारिसान को वंचित नही किया जा सकता है तथा हक त्याग सभी के पक्ष में त्याग किया जाता है। गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम भूमि अनुचित तरीके से दर्ज होने के कारण गैरसायल वाद भूमि को रहन बैय करना चाहते है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नहराना डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 111/108 की कुल 26.6930 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज 7/48 हिस्सा भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी स0 1 ता 3 के पक्ष में दिनांक 06.08.2024 को अप्रार्थीगण की बहिने, भानजा व भानजी द्वारा दस्बरदारी की गई है। जिसका नामान्तरण दिनांक 23.08.2024 को स्वीकृत हो चुका है। अप्रार्थीगण की बहिन, भानजा व भानजी ने अपनी इच्छा से हक त्याग किया है। दस्बरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। तथा किडूराम ने रोही मौजा नहराना के खाता स0 10/12 की कु 3.4270 हैक्ट भूमि में से 3060/3427 हिस्सा भूमि खरदी कर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवा दी थी सभी वारिसान को पक्षकार भी नही बनया गया है उक्त वाद भूमि में सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि [illegible] पुत्र [illegible]योनाथ का स्वर्गवास दिनांक 07.10.2020 को हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद [illegible]रिस एक पत्नी, 4 लडके व 3 लडकिया हुए जिसमें से एक लड़का ओम प्रकाश पुत्र कीडूराम भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 हुए तथा एक लड़की निराणी पुत्री कीडूराम भी फोत हों

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चुकी है। रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 111/108 की कुल 26.6930 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि कीडूराम पुत्र श्योनाथ के नाम दर्ज थी जिनकी मृत्यु के बाद दिनांक 15.06.2024 को विरास्तन सभी वारिसान के नाम दर्ज हुई सायल की दादी रामप्यारी पत्नी कीडूराम व वादी की बुआ विमला, कृष्ण एवं सायल की बुआ मृतका निराणी पुत्री कीडूराम के वारिसान विद्या, पार्वती, रोहिताश व सोहन ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2024 को परित्याग कर चुके है जिसका इन्तकाल दिनांक 23.08.2024 को हो चुका है इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नहीं होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक (Tenancy Right Accure) हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबदार होने वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह खातेदार (Remaining all the coparcener cosherer tenants) य० हि० ब० के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2024 द्वारा रामप्यारी पत्नी कीडूराम व विमला, कृष्ण पुत्रिया कीडूराम एवं मृतका निराणी पुत्री कीडूराम के वारिसान विद्या, पार्वती, रोहिताश व सोहन का हक व हिस्सा समाप्त हो गया तथा अब वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2024 से गैरसायल नं. 1 ता 3 अकेलो को कोई हक हकूक हासिल नहीं हुआ है।

अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 ता 3 के पक्ष में दिनांक 06.08.2024 को अप्रार्थीगण की बहिने, भानजा व भानजी द्वारा दस्बरदारी की गई है। जिसका नामान्तरण दिनांक 23.08.2024 को स्वीकृत हो चुका है। अप्रार्थीगण की बहिन, भानजा व भानजी ने अपनी इच्छा से हक त्याग किया है। दस्बरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। तथा किडूराम ने रोही मौजा नहराना के खाता स0 10/12 की कु 3.4270 हैक्ट भूमि में से 3060/3427 हिस्सा भूमि खरदी कर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवा दी थी सभी वारिसान को पक्षकार भी नही बनया गया है उक्त वाद भूमि में सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है।

पत्रावली में प्रस्ततु दस्तावेजों के मुताबिक अप्रार्थी स0 1 ता 3 के पक्ष में दिनांक 06.08.2024 को दस्बरदरी की गई है उक्त दस्बरदारी में प्रार्थी/तरतीबी प्रतिवादीगण को छोड़ा गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में की गई दस्तबरदारी सही या गलत का निर्धारण मूल वा दमे तय होना है जो की न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत विचाराधीन है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि के पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित अराजी का काश्तकार है अप्रार्थीगण 1 ता 3 के नाम भूमि जरिये दस्बरदारी प्राप्त हुई है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा नहराना डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 111/108 की कुल 26.6930 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज 7/48 हिस्सा भूमि की अप्रार्थी स0 1 ता 3 न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29/01/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested